राजस्व मंडल ग्वालियर जिला- ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायालय में श्रीमान् ~~कलेक्टर महोदय, शहडोल जिला-शहडोल~~, (म.प्र.)

(5)

शिवचरण प्रजापति उम्र 55 वर्ष पिता बड़ा दुलारे प्रजापति निवासी ब्लाक आफिस के पीछे, धनपुरी, वार्ड क्र. 1, जिला-शहडोल (म.प्र.)............................निगराकार

R-2915-II/12

बनाम

मोहन सिंह पिता सम्हारू सिंह, निवासी ग्राम जल्दी टोला पकरिया, तह. बुढ़ार, जिला शहडोल (म.प्र.) ....गैरनिगराकार

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
17 AUG 2012
शाखा
अधीक्षक
कलेक्टर

निगरानी प्रकरण क्र. 119/अ-12/10-11आदेश दिनांक 20.06.2011 न्यायालय, अति. तहसीलदार महोदय, तह. बुढ़ार, जिला-शहडोल म.प्र. के विरूद्ध

मान्यवर,

निगराकार की ओर से निगरानी पेश कर निवेदन है कि -

प्रकरण के तथ्य-

1. यह कि गैर निगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम जल्दी टोला पकरिया के आ.ख.नं. 72 एवं 64/1 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, मूल प्रकरण में निगराकार आ.ख. 64/2का भूमि स्वामी होने के कारण उसे पक्षकार नही बनाया गया और न ही सीमांकन पूर्व राजस्व निरीक्षक के द्वारा निगराकार सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद भी किसी प्रकार की सूचना नही दी गई, गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन व न्यायालय से यह बात स्पष्ट होती है कि प्रकरण सीमांकन हेतु प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उक्त आवेदन व आदेश तथा न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को लिखे पत्र में नक्शा संशोधन का आदेश नही था। उक्त सीमांकन से निगराकार की एक चेक भूमि आ. ख.नं. 64/2 जो उसने 27.11.91 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी, को बिना किसी अधिकार के राजस्व निरीक्षक के द्वारा नक्शे में उक्त भूमि दो जगहो पर चिन्हांकित इसलिए किया कि गैर निगराकार की एक चेक भूमि एक स्थान पर उसे बताई जा सके। बारिस होते ही जब निगराकार भूमि पर कृषि करने के उद्देश्य से आ.ख.नं. 64/2 पर गया तो गैर निगराकार ने कृषि करने से रोक दिया, और कहा कि यह जमीन मैं सीमांकन करायी है, और सीमांकन में यह भूमि मेरी निकली है, तब निगराकार को गैर निगराकार के द्वारा कराए गए सीमांकन एवं नक्शा तरमीम की प्रथम बार जानकारी

R – 2915 – II/12 शहडोल

13/1/2016

आवेदक अभि. एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण आवेदक अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

[illegible]